

(सम्बन्धित उप वन संरक्षक द्वारा भरा जाना है)

प्रस्ताव की संख्या-FP/UK/ROAD/40975/2019

7 परियोजना का नाम:-

जनपद उत्तरकाशी के अन्तर्गत विकास खण्ड चिन्यालीसौड में चिन्यालीसौड-जोगथ मोटर मार्ग से पुजारगांव भडेश्वर मंदिर तक मोटर का निर्माण मार्ग (लम्बाई-1.825 किमी0) का प्रस्ताव।

उत्तराखण्ड।

उत्तरकाशी।

उत्तरकाशी वन प्रभाग उत्तरकाशी।

आरक्षित वन भूमि-1.3475 है0 तथा सिविल सोयम भूमि-0.0910 है0 अर्थात कुल 1.4385 है0 वन भूमि।

आरक्षित भूमि।

घनत्व 0.2

सलग्न है।

i) राज्य/संघ शासित क्षेत्र

ii) जिला

iii) वन प्रभाग

iv) वनेत्तर प्रयोग के लिए प्रस्तावित वन भूमि का क्षेत्रफल (है0 में)

v) वन की कानूनी स्थिति

vi) हरियाली का घनत्व

vii) प्रजातिवार (वैज्ञानिक नाम) और परिधि श्रेणीवार वृक्षों की परिगणना (संलग्न की जाए)। सिंचाई/जलीय परियोजनाओं के सम्बन्ध में एफ0आर0एल0 -8 मी0 पर परिगणना भी संलग्न किए जाए।

viii) भूक्षरण के लिए वन क्षेत्र की संवेदन शीलता पर संलग्न है। संक्षिप्त टिप्पणी।

ix) वनेत्तर प्रयोग के लिए प्रस्तावित स्थल की वन की सीमा से अनुमानित दूरी। प्रस्तावित मार्ग का समरेखण वन सीमा के अन्दर है।

x) क्या फार्म राष्ट्रीय उद्यान, वन्य जीव अभ्यारण नहीं है।, जैवमण्डल रिजर्व बाघ रिजर्व, हार्थी कारोडोर आदि का भाग है (यदि हां क्षेत्र का ब्यौरा और प्रमुख वन्य जीव वार्डन की टिप्पणिया। अनुबन्धित की जाए)

xi) क्या क्षेत्र में वनस्पति और प्राणिजात की दुर्लभ/संकटापन्न/विशिष्ट प्रजातियां पाई जाती है क्षेत्र में प्राणिजात की विशिष्ट प्रजातियां जैसे तेन्दुआ, गुरल, काला भालू आदि पाई जाती है। यदि हां/तो तत्संबंधी ब्यौरा दें।

xii) क्या कोई सुरक्षित पुरातत्वीय/पारस्परिक स्थल/रक्षा प्रतिष्ठान और कोई अन्य महत्वपूर्ण स्मारक क्षेत्र में स्थित है, यदि हां तो तत्संबंधी ब्यौरा सक्षम प्राधिकरण से अनापत्ति प्रमाण पत्र के साथ यदि अपेक्षित हो, या नहीं है।

2 प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा भाग-1 कालम-2 में प्रस्तावित वन भूमि आवश्यकता परियोजना के लिए अपरिहार्य और न्यूनतम है। यदि नहीं तो जांचे गये विकल्पों के ब्यौरे साथ मदवार संस्तुत क्षेत्र क्या है। आरक्षित वन भूमि-1.3475 है0 तथा 0.0910 है0 सिविल सोयम भूमि अर्थात कुल 1.4385 है0 वन भूमि परियोजना के लिये अपरिहार्य/न्यूनतम है।

3 क्या अधिनियम के उल्लंघन में कोई कार्य किया गया है (हाँ/नहीं) यदि हां तो कार्य की अवधि, दोषी अधिकारियों पर की गई कार्यवाही सहित कार्य का ब्यौरा दें। तथा उल्लंघन संबंधी कार्य अभी भी चल रहे है। नहीं है।

4 प्रतिपूरक वनीकरण स्कीम का ब्योरा-

i) प्रतिपूरक वनीकरण के लिए अभी निर्धारित वनेत्तर क्षेत्र/अवकमित वन क्षेत्र आस-पास के वन क्षेत्र से इसकी दूरी, भू खण्डों की संख्या, प्रत्येक भू खण्डों की संख्या। संलग्न है।

ii) प्रतिपूरक वनीकरण के लिए अभी निर्धारित वनेत्तर क्षेत्र/अवकमित वन क्षेत्र आस-पास के वन क्षेत्र से इसकी दूरी, भू खण्डों की संख्या, प्रत्येक भू खण्डों की संख्या, प्रत्येक भू खण्डों का आकार। संलग्न है।

- ii) रोपित की जाने वाली प्रजातियों सहित प्रतिपूरक संलग्न है।
वनीकरण स्कीम के विवरण कार्यान्वयन एजेन्सी,
समय अनुसूची लागत ढाचा आदि।
- iii) रोपित की जाने वाली प्रजातियों सहित प्रतिपूरक संलग्न है।
वनीकरण स्कीम के विवरण कार्यान्वयन एजेन्सी,
समय अनुसूची लागत ढाचा आदि।
- iv) प्रतिपूरक वनीकरण के लिए अभिनिर्धारित वनेत्तर संलग्न है।
क्षेत्र से इनकी दूरी, भूखण्डों की संख्या, प्रत्येक
भूखण्डों का आकार
- vi) प्रतिपूरक वनीकरण स्कीम के लिए कुल वित्तीय संलग्न है।
परिव्यय
- 5 जिला वन संरक्षक की स्थल निरीक्षण रिपोर्ट संलग्न है।
विशेषतः उपर्युक्त कालम 7 (xi, xii) 8 और 9 में
पूछे गये तथ्यों को दर्शाते हुए (संलग्न करें)
- 6 प्रभाग/जिला प्रोफाइल
- i) जिला का भौगोलिक क्षेत्र। प्रकरण वन प्रभाग उत्तरकाशी से सम्बन्धित है।
801600.00 हैक्टेयर
- ii) जिला का वन क्षेत्र। 695783.35 हैक्टेयर
- iii) मामलों की संख्या सहित 1980 से वनेत्तर प्रयोग में 552 मामले तथा 1652.43 हैक्टेयर
लाया गया कुल क्षेत्र।
- iv) 1980 से जिला/प्रभाग से निर्धारित कुल प्रतिकुल
वनीकरण।
- (क) दण्ड के रूप में प्रतिपूरक वनीकरण सहित वन भूमि 2241.08 है०
पर अब तक
- (ख) वनेत्तर भूमि पर अब तक 213.17 है०
- v) प्रतिपूरक वनीकरण में हुई प्रगति
- (क) वन भूमि पर 1990.748 है०
- (ख) वनेत्तर भूमि पर 213.17 है०
- 7 प्रस्ताव को स्वीकृत करने अथवा प्रस्ताव अन्यथा लेने कार्यदायी संस्था द्वारा वन सम्पदा की समुचित सुरक्षा की
के संबंध में उप वन संरक्षक की विशेष सिफारिश। जायेगी। अतः संस्तुति सहित अग्रसरित।

स्थान - उत्तरकाशी
दिनांक 27-08-20

प्रभागीय वनाधिकारी
उत्तरकाशी वन प्रभाग,
उत्तरकाशी।